Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

सामान्य हिंदी

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: RJM07

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

सामान्य हिन्दी

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

RAS DLP

विषय सूची (Contents)

भाग-अ

1.	हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप	7-12
2.	हिन्दी भाषा का विकास काल	13-19
3.	देवनागरी: एक दृष्टि में	20-21
4.	वर्ण विचार : वर्णमाला एवं वर्तनी	22-32
5.	हिन्दी शब्द-भंडार (तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द)	33-38
6.	हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ (राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित)	39-44
7.	हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न	45-47
8.	हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक	48-66
8.1	संज्ञा	48
8.2	सर्वनाम	53
8.3	क्रिया	54
8.4	क्रिया-विशेषण	57
8.5	विशेषण	60
9.	संधि एवं संधि-विच्छेद	67-79
9.1	संधि	67
9.2	संधि-विच्छेद	74
10.	उपसर्ग	80-83
11.	प्रत्यय	84-97
12.	पर्यायवाची शब्द	98-104
13.	विलोम शब्द	105-113
14.	समश्रुत भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म का अर्थ-भेद)	114-127
15.	वाक्यांश के लिये सार्थक शब्द	128-148
16.	शब्द-शुद्धि	149-157
17.	वाक्य-शुद्धि	158-170
18.	मुहावरे	171-184
19.	कहावतें (लोकोक्तियाँ)	185-195
20.	पारिभाषिक शब्दावली (प्रशासन से संबंधित)	196-206
20.1	हिन्दी से अंग्रेज़ी	196
20.2	अंग्रेज़ी से हिन्दी	201

भाग-ब

1.	गद्यावतरण (अवतरण) का शीर्षक एवं संक्षिप्तीकरण	209-216
1.1	शीर्षक	209
1.2	संक्षिप्तीकरण	209
2.	पल्लवन	217-224

3. पत्र-लेखन **225-232**

3.1 सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्र 225

3.2 अर्द्धशासकीय पत्र 227

3.3 कार्यालय आदेश 229

3.4 अनुस्मारक 230

4. प्रारूप-लेखन **233-240**

4.1 अधिसूचना 233

4.2 निविदा 235

4.3 परिपत्र 237

4.4 विज्ञप्ति 239

5. अनुच्छेद का अनुवाद **241-248**

5.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी 241

5.2 अंग्रेज़ी से हिन्दी 244

भाग-स

1. निबंध लेखन : क्या, क्यों, कैसे? **251-278**

1.1 निबंध क्या है? 251

1.2 निबंध लिखने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियाँ 255

1.3 निबंध लेखन से जुड़े अन्य सुझाव 274

2. निबंधों का संग्रह (लगभग 250 शब्द सीमा) **279-296**

2.1 नारी है तो कल है 279

2.2 स्वच्छ भारत मिशन 279

2.3 विमुद्रीकरण के संभावित प्रभाव 280

2.4 महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर समानता 281

2.5 मनुष्य मूलतः स्वार्थी प्राणी है। 282

2.6 सहकारी संघवाद: मिथक अथवा यथार्थ 282

2.7 वास्तविक शिक्षा क्या है? 283

2.8 राजनीति में नारी की भूमिका 284

2.9 भारत में बाल श्रम की समस्या 284

2.10 भारत में विविधता: वरदान एवं चुनौती 285

2.11 'वैश्वीकरण' बनाम 'राष्ट्रवाद' 286

2.12 शहरी क्षेत्र में बाढ़: संकट एवं प्रबंधन 287

2.13 सौर ऊर्जा: भविष्य की ऊर्जा के रूप में 288

2.14 सोशल मीडिया और आंतरिक सुरक्षा 288

2.15 नगरीकरण : एक प्रच्छन्न वरदान है। 289

2.16 गांधी : भारतीय सभ्यता के अग्रदूत 290

2.17 एक राष्ट्र, एक चुनाव: चुनौतियाँ व उपाय 291

2.18 'आरक्षण, राजनीति एवं शक्ति-सम्पन्नीकरण' 292

2.19 भारत में बढ़ता खाद्य संकट 293

2.20 आतंकवाद: एक चुनौती 294

2.21 पर्यटन: संभावित उद्योग 295

भाग–अ

अध्याय
1

हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

विश्व में प्रचलित हज़ारों भाषाओं में एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भाषा हिन्दी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी प्रमुखता से स्थापित है। हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, वरन् भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश, यथा-फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो आदि देशों की भी भाषा है। इस प्रकार, हिन्दी सांख्यिक और समृद्धि दोनों दृष्टिकोण से विश्व की प्रमुख भाषा है।

'भाषा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है–व्यक्त करना अथवा कहना। संस्कृत में **भाष्यते इति भाषा** का अर्थ व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप 'भाषा' वह वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार, भाषा मनुष्य के मनोभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम के समान ही लेखन भी भाषा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है, जो लिपि-चिह्नों के प्रयोग से संभव हुआ है। इसी तरह, सांकेतिक माध्यम भी भाषा का एक अन्य माध्यम है। संक्षेप में, भाषा के उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने अन्यान्य भावों एवं विचारों की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति ही है।

भाषा के अर्थ स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी के भाषाविदों ने इसे अपने-अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में, "उच्चरित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं।"

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्राय: यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

एक **पाश्चात्य विद्वान क्रोचे** ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, ''भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिये संगठित करते हैं।''

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान वेंद्रे के शब्दों में, ''भाषा मनुष्यों के बीच संचार-व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।''

विशेषता : उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर भाषा की कुछ निश्चित विशेषताएँ चिह्नित होती हैं,जैसे–

(क) भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है।
(ख) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।
(ग) भाषा प्रतीकात्मक (लेखन रूप में) होती है।
(घ) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मनोभाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं विनिमय होता है।
(ङ) भाषा के ध्वनि-संकेत उच्चारण में वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त होते हैं।
(च) भाषा परिवर्तनशील होती है।
(छ) परिवर्तनशील प्रकृति के कारण भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है।
(ज) भाषा क्षेत्रीय सीमा से बँधी होती है।
(झ) भाषा का अस्तित्व सांस्कृतिक विकास-पतन से सीधा जुड़ा होता है।

(ग) कारक के विभक्ति-चिह्नों में भी दोनों के मध्य काफी अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें–

कारक	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी
कर्त्ता	णै, नै	ने
कर्म	क, नै	को
करण	मू, सै	से
संप्रदान	कू, णे, ने	के लिये
अपादान	सु, सै	से
अधिकरण	उप्पर, पै	में, पर

(घ) सार्वनामिक अंतर-मुज → मुझ, म्हारा → हमारा आदि।

(ङ) क्रिया-विशेषण संबंधी अंतर– इब → अब, इभी → अभी, क्यूँ → क्यों, जाँ → जहाँ, ह्याँ → वहाँ आदि।

(च) स्त्रीलिंग प्रत्यय-संबंधी अंतर–पंडतानी → पंडितानी, सुनारण → सुनारिन आदि। (पश्चिमी हिन्दी-प्रत्यय– 'इन', 'अण'; मानक हिन्दी-प्रत्यय–'इन')

इस प्रकार, हिन्दी के मानकीकरण में भले ही पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली को स्रोत या आधार भाषा के रूप में लिया गया हो परंतु मानक हिन्दी इससे नितांत भिन्न होते हुए स्वतंत्र प्रकृति और पहचान बनाने में सफल रही है। मानक हिन्दी हर स्तर और रूप में मेरठी हिन्दी से बहुत आगे निकल गई है। इसने अपनी भाषायी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से ग्राह्य सामग्रियों को ग्रहण कर समृद्ध भाषा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो न केवल उसके राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल है, वरन् विश्व की तृतीय प्रमुख भाषा की प्रसिद्धि के अनुरूप भी है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
2. भाषा के प्रमुख मान्य रूप कौन-कौन से हैं?
3. हिन्दी व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये।
4. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा को परिभाषित कीजिये।

अध्याय
2

हिन्दी भाषा का विकास काल

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्यभाषाओं का विकास अलग-अलग पद्धति से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा के विकास को प्रायः तीन चरणों में विभक्त किया जाता है–

- **प्राचीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना गया है। इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ शामिल हैं-
  - वैदिक संस्कृत (2000 से 1000 ई.पू.) तथा
  - लौकिक संस्कृत (1000 से 500 ई.पू.)
- **मध्यकालीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं का विकास काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत चार चरण मिलते हैं-
  - पालि (500 ई.पू. से ईसवी सन् के आरंभ तक)
  - प्राकृत (ईसवी सन् के आरंभ से 500 ई. तक)
  - अपभ्रंश तथा अवहट्ट (500 ई. से 1100 ई. तक)
- **आधुनिक आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ई. से अभी तक माना जाता है। इनमें हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

हिन्दी भाषा का विकास-क्रम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिन्दी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्यभाषाएँ कहते हैं। अतः हिन्दी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्यभाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है।

हिन्दी का उद्‌भव कब हुआ, इस पर भाषा-विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिन्दी का विकास मान लेना चाहिये तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिन्दी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिये और हिन्दी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिन्दी से मानी जानी चाहिये।

वर्तमान भाषा-विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिन्दी का आरंभ लगभग 1100 ई. में हो गया था। किंतु, यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तब से आज तक की विकास-यात्रा कई अलग-अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिन्दी के विकास को भी तीन चरणों में बाँटा जाता है–

- प्राचीन हिन्दी (1100 ई. से 1350 ई. लगभग)
- मध्यकालीन हिन्दी (1350 ई. से 1850 ई. लगभग)
- आधुनिक हिन्दी (1850 ई. से अभी तक)

प्राचीन हिन्दी

प्राचीन हिन्दी, पुरानी हिन्दी तथा आरंभिक हिन्दी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिये गए हैं। इस काल में हिन्दी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिन्दी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्वपीठिका ज़रूर दिखाई देती है। इस काल में हिन्दी भाषा अपभ्रंश के केंचुल को धीरे-धीरे छोड़कर हिन्दी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी।

अध्याय 3

देवनागरी: एक दृष्टि में

हिन्दी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि वस्तुत: हिंदी की मौलिक लिपि न होकर भारत की प्राचीन और 'देवभाषा' के रूप में मान्य संस्कृत भाषा की लिपि रही है। अत: संस्कृत की संतान और उत्तराधिकार के रूप में हिंदी ने अपनी जननी (संस्कृत) की जो अधिसंख्य थाती अपनाई, उनमें एक प्रमुख लिपि देवनागरी भी है। हिन्दी की वर्तमान देवनागरी लिपि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि इसकी वर्णमाला में वर्णों की पर्याप्तता, क्रमिकता एवं एक ध्वनि हेतु एक वर्ण आदि ऐसी अन्यान्य विशेषताएँ हैं, जिनके कारण विश्व की अन्य विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की लिपियों के समान इसे वैज्ञानिक लिपि मानने में किसी प्रकार के संशय की कोई गुंजाइश नहीं है।

यद्यपि प्रत्येक भाषा का उद्देश्य एक ही होता है, मगर उसकी अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ या गुण होते हैं। यही बात लिपियों में भी लागू होती है। लिपि की प्रासंगिकता भाषायी अभिव्यक्ति को सरल-से-सरल, पूर्ण एवं स्पष्ट बनानी होती है। इसलिये प्रत्येक लिपि की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ या गुण होते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि लिपिगत विशेषता का अपवाद नहीं है।

यदि देवनागरी लिपि को एक नज़र में आँकने की कोशिश की जाए, तो दो प्रमुख तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण करना होगा–

1. देवनागरी की उत्पत्ति या विकास-यात्रा
2. देवनागरी की वर्णमाला।

देवनागरी की उत्पत्ति या विकास-यात्रा

यह सर्वविदित है कि हिन्दी ने इस लिपि को संस्कृत से ग्रहण किया है। चूँकि संस्कृत इस देश की प्राचीन भाषा रही है और काल की दृष्टि से हज़ारों साल की ऐतिहासिकता से इसकी संबद्धता रही है, अत: संस्कृत से हिंदी के विकास में हज़ारों साल का काल-क्रम अंतर्निहित है। इस अवधि में अनेक भाषाओं का विकास हुआ, मगर वर्तमान में वे इतिहास के गर्त में समा चुकी हैं, जैसे– प्राकृत, पालि आदि। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषायी विवरण में इन विलुप्त भाषाओं की कोई प्रासंगिकता या महत्ता नहीं है। संस्कृत से देवनागरी की यात्रा हिंदी तक पहुँचने में, वस्तुत: इन भाषाओं की महत्ता निर्विवाद है। इसे सही, स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से समझने हेतु सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण ही सर्वोत्तम उपाय है, तो आइए इनका अवलोकन करें।

देवनागरी लिपि की विकास-यात्रा: सारणीबद्ध एक नज़र में

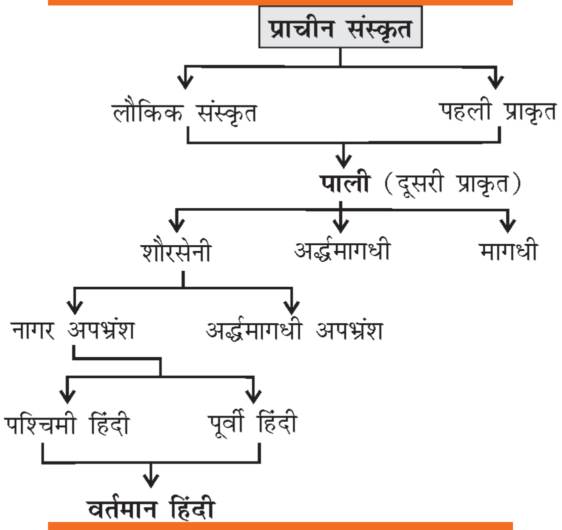

अध्याय
4

वर्ण विचार : वर्णमाला एवं वर्तनी

मानवीय भाव व विचार व्यक्त करने का एकमात्र सशक्त एवं सुस्पष्ट माध्यम भाषा है। भाषा एक वाचिक माध्यम है और इसके अन्य माध्यम हैं– सांकेतिक भाषा व लिखित भाषा। वाचिक का अर्थ वाणी से है और यह वाणी पूर्णत: ध्वनि का व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक रूप होती है। यही ध्वनि 'वर्ण' का प्रारंभिक उद्गारक रूप होती है, जिससे 'शब्द' का निर्माण होता है। इस संदर्भ में एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि–

(क) 'वर्ण' भाषा की सूक्ष्म इकाई है।
(ख) 'वर्ण' मानवीय वाणिक माध्यम का प्रारंभिक रूप है।
(ग) 'वर्णों' के व्यवस्थित संयोग से 'सार्थक शब्द-निर्माण' होता है।
(घ) सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य और वाक्य से भाषा के उद्देश्य-औचित्य पूर्ण होते हैं।
(ङ) इस प्रक्रिया से ही भाषा मानवीय भाव और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम बन पाने में सक्षम होती है।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि 'वर्ण' या 'वर्ण-समूह' अथवा 'वर्णमाला' भाषायी उद्देश्य-औचित्य में आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

ध्वनि

इसमें दो राय नहीं कि ध्वनि ही भाषा का मूल स्रोत है। लेकिन यहाँ यह भी विचारणीय है कि इस धरा पर समस्त प्राणी इस अनमोल प्राणिक विशेषता से युक्त हैं; जैसे–चूहे की 'चीं-चीं', बिल्ली की 'म्याऊँ-म्याऊँ' अथवा कुत्ते की 'भौं-भौं' आदि के समान ही अन्य सभी जीवों की भी ध्वनियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं की भी ध्वनियाँ होती हैं; जैसे–हवा के वेग से 'साँय-साँय', पानी के वेग से 'कल-कल' या फिर पदार्थों के कंपन से उत्पन्न ध्वनि। इस संबंध में प्रमुख बात यह है कि जब 'भाषा' शब्द का ज़िक्र होता है, तो इसका एकमात्र आशय 'मानवीय भाषा' से ही होता है, अन्य किसी जीव से नहीं, भले ही वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ व्यक्त करते हों।

यह निर्विवाद तथ्य है कि भाषा की मूलावस्था या मूल स्रोत मानवीय ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ध्वनियों से वर्ण, वर्णों से शब्द-निर्माण एवं इन शब्दों के व्यवस्थित संयोग से जो मानवीय भाव व विचार प्रकट होते हैं, वही भाषा है। आशय यह है कि भाषायी संदर्भ में मनुष्य के मुख से उच्चरित या निकली ध्वनियाँ ही सारगर्भित या प्रासंगिक होती हैं। लेकिन यह मान लेना कि सभी मानवीय ध्वनियाँ सार्थक ही होती हैं और वे भाषा में योगदान देती हैं, गलत होगा। वास्तविकता यह है कि चेतन या अचेतन अवस्था में मनुष्य द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होतीं और भाषा में ऐसी निरर्थक ध्वनियों की कोई महत्ता या उपयोगिता नहीं होती। मनुष्य की ऐसी निरर्थक ध्वनियों का संक्षिप्त उल्लेख क्रमिक रूप में निम्नवत् है–

(क) मनुष्य की क्रिया या क्रिया-कलाप विशेष से उत्पन्न ध्वनियाँ; जैसे–चलने-दौड़ने या व्यायाम करने की ध्वनि।
(ख) निद्रावस्था में 'खर्राटे की ध्वनि' या फिर 'जम्हाई लेने की ध्वनि'।
(ग) कष्ट या पीड़ा से 'कराहने' या 'चिल्लाने' की ध्वनि।
(घ) मनोरंजन के रूप में 'सीटी बजाने' की ध्वनि, या

लिपि

भाषा-विकास में ऐतिहासिक तथ्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के इस सम्मत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिम मानव अपने विचार अभिव्यक्ति में वर्तमान समय के गूँगे के समान थे, जो मुख्यत: अस्पष्ट ध्वनियों, चेहरे के हाव-भाव एवं हाथों को सांकेतिक रूप में प्रयोग करते थे। वर्तमान में भाषा के जो तीन माध्यम हैं–वाचिक, लेखन व सांकेतिक-इस स्तर पर हिन्दी भाषा को पहुँचने में हज़ारों साल के काल-क्रम से गुजरना पड़ा है और विकास के इस क्रम में 'वर्ण' एवं 'लिपि'

अध्याय
5

हिन्दी शब्द-भंडार
(तत्सम, तद्‌भव, देशज एवं विदेशज शब्द)

विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेज़ी भाषा सहित अन्य प्रमुख विश्वस्तरीय भाषाएँ– फ्रेंच, यूनानी, स्पेनिश, रशियन, जर्मनी, चीनी, जापानी इत्यादि में अपने-अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों के रूप-परिवर्तन कर अपनी-अपनी भाषा के शब्द-भंडार को बृहद् एवं विस्तृत किया गया है। हिन्दी भाषा इस अर्थ में कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत् या फिर उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके शब्द-भंडार को समृद्ध किया गया है।

- संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है। इसका शब्द-भंडार संस्कृत के मूल शब्द (तत्सम) और उसके परिवर्तित रूप (तद्‌भव) शब्दों से भरा हुआ है।
- व्युत्पत्ति (उत्पत्ति) के आधार पर हिन्दी भाषा में मुख्यत: चार प्रकार के शब्दों की समाहिता सर्वस्वीकार्य है, जो निम्नलिखित है–

हिन्दी भाषा में मुख्यतः चार प्रकार

तत्सम | तद्‌भव | देशज | विदेशज

तत्सम

तत्सम (तत् + सम = उसके समान) यहाँ 'उसके' से आशय 'संस्कृत' से है। इस प्रकार, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं और हिन्दी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। सामान्यतया ऐसे शब्दों की संख्या कम है। ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अग्नि, अंक, स्कंध, अश्रु, आम्र, अष्ट** इत्यादि। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिये गए हैं और हिन्दी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द हैं।

तद्‌भव

हिन्दी भाषा के **तद्‌भव** शब्द ऐसे शब्द हैं, जो मूलरूप से संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। तद्‌भव तत्+भव=(उत्पन्न/बना) का शाब्दिक अर्थ होता है– संस्कृत शब्द से उत्पन्न/विकसित/बना शब्द। मगर यहाँ यह उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा कि तद्‌भव शब्द सीधे (प्रत्यक्ष) तौर पर संस्कृत शब्द से उत्पन्न/विकसित नहीं होकर प्राकृत, पालि और अपभ्रंश के माध्यम से हज़ारों साल के काल-क्रम से गुज़रते हुए अस्तित्व में आया है। यही कारण है कि संस्कृत के मूल शब्द में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो गया। तत्सम शब्द के समान ही तद्‌भव शब्दों की सूची काफी लंबी है, जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा। कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रस्तुत हैं, यथा–**अच्छर, कड़ुआ, काठ, घिन, चाम, जोगी** इत्यादि।

देशज

देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है, जो हिन्दी भाषा के विकास के काल-क्रम में उसके गर्भगृह (शब्द-भंडार) में समाहित हो गए। यद्यपि इन शब्दों की संख्या शेष तीन प्रकारों की शब्द-संख्या की तुलना में नगण्य है, लेकिन प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अक्खड़, अंट-शंट, ऊटपटाँग, किलबिलाना, गुदड़ी, झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम-गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़र, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कनटक, कौंधना, काच, कचोटना, कीनर-मीनर, कराहना, खनन-खनन, खूसट, खुर्राट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदरा, खटना, खूँटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली, गिरगिट, गरेरी, गेंदा, गुपचुप, गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना** इत्यादि।

अध्याय 6

हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ (राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित)

भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया है जिसे उपभाषा कहते हैं। जिस प्रकार भाषा का संबंध बोलने व लिखने से है, जबकि बोली का संबंध बोलने से है, उसी प्रकार उपभाषा का संबंध न बोलने से है और न लिखने से। सामान्य रूप से कहें तो यह एक ऐसा वर्ग है जिसका विश्लेषण तो हो सकता है, पर प्रयोग नहीं हो सकता। एक भाषा की बहुत सी बोलियाँ होती हैं तथा उन बोलियों के बीच अलग-अलग मात्रा में निकटता और दूरी दिखलाई देती है।

हिन्दी की बोलियों के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान तथा दिल्ली की बोलियों में जितनी निकटता होगी, उतनी राजस्थान और बिहार की बोलियों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो निकटता होगी, वह बिहार और छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं हो सकती। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि निकटवर्ती बोलियाँ परस्पर गहराई से जुड़ी होती हैं, जबकि दूर की बोलियों में उतना आंतरिक तारतम्य नहीं होता। उपभाषा सामान्य रूप से बोलियों के उस वर्ग को कहते हैं जिनमें समान ऐतिहासिक विरासत के कारण गहरे संबंध होते हैं तथा जिनकी भाषिक प्रवृत्तियाँ प्रायः एक सी होती हैं।

उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है जिसे मात्र बोलियों की परस्पर समानता के आधार पर निर्मित किया गया हो। बोलियों के निकट संबंध वस्तुतः समान ऐतिहासिक उद्भव पर आधारित होते हैं। हिन्दी की उपभाषाओं की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि पाँच प्रकार की प्राकृतों से पहले उपभ्रंशों तथा बाद में हिन्दी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। विकास की यह प्रक्रिया इस प्रकार है-

- राजस्थानी प्राकृत → अपभ्रंश → राजस्थानी हिन्दी (उपभाषा)
- शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
- अर्द्धमागधी प्राकृत → अर्द्धमागधी उपभ्रंश → पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
- मागधी प्राकृत → मागधी उपभ्रंश → बिहारी हिन्दी (उपभाषा)
- खस प्राकृत → खस उपभ्रंश → पहाड़ी हिन्दी (उपभाषा)

यद्यपि इस विकास प्रक्रिया के संबंध में भाषा-वैज्ञानिकों में अत्यधिक विवाद है, किंतु सामान्य रूप से यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाता है।

हिन्दी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

हिन्दी भाषा का वर्गीकरण पाँच उपभाषाओं में किया जाता है- राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी। इन पाँचों उपभाषाओं तथा इनसे संबंधित बोलियों को एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है।

हिन्दी भाषा

राजस्थानी हिन्दी	बिहारी हिन्दी	पहाड़ी हिन्दी	पूर्वी हिन्दी	पश्चिमी हिन्दी
1. मारवाड़ी	1. भोजपुरी	1. कुमाउँनी	1. अवधी	1. ब्रजभाषा
2. मालवी	2. मगही	2. गढ़वाली	2. बघेली	2. कौरवी/खड़ी बोली
3. मेवाती	3. मैथिली		3. छत्तीसगढ़ी	3. हरियाणी
4. जयपुरी/ढूंढाड़ी				4. कन्नौजी
5. मेवाड़ी				5. बुंदेली
6. हाड़ौती				6. दक्खिनी
7. बागड़ी				

अध्याय
7

हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न

विराम शब्द का अर्थ 'ठहरना' या 'रुकना' होता है। विराम चिह्नों का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करते समय बीच-बीच में रुकते हैं। इन चिह्नों के प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रारूप में प्रस्तुतीकरण किया जा सके, जिससे पाठक को उस लेख का सही भाव समझ में आ सके।

विराम चिह्नों के प्रकार

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले महत्त्वपूर्ण विराम चिह्न निम्नलिखित हैं–

विराम चिह्न		
● अल्प विराम (Comma)	→	,
● अर्द्ध विराम (Semi Colon)	→	;
● विस्मय विराम (Note of Exclamation)	→	!
● पूर्ण विराम (Full Stop)	→	।
● प्रश्न विराम (Note of Interrogation)	→	?
● निर्देशक चिह्न/रेखिका (Dash)	→	–
● योजक (Hyphen)	→	-
● अपूर्ण/न्यून विराम (Colon or Colon Dash)	→	:/:
● लोप विराम/वर्जन-चिह्न	→	.. .. ..
● अवतरण विराम/उद्धरण-चिह्न	→	' ', " "
● कोष्ठक (Brackets)	→	( ), { }, [ ]
● तुल्यता सूचक चिह्न	→	=
● लाघव विराम/संक्षेप सूचक	→	o
● समाप्ति सूचक	→	- - o - -, - - - -

अल्प विराम चिह्न

अल्प विराम का शब्दिक अर्थ, थोड़ा ठहराना या रुकना होता है। जब भाषा को पढ़ते एवं बोलते समय अल्प समय के लिये रुकने/ठहरने की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे– मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं।

राधा, सुशीला और नीता घर जा रही हैं।

अर्द्ध विराम

अर्द्ध-विराम चिह्न पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के विराम के समय उपयोग में लाया जाता है। इस कारण इसके प्रयोग की स्थिति भिन्न होती है। सामान्यत: किसी वाक्य में स्वतंत्र वाक्यों की संख्या एक से अधिक होती है जिसके कारण उन्हें अलग-अलग रखने या एक वाक्यांश/शब्द-समूह के दूसरे वाक्यांश/शब्द-समूह से भिन्न दर्शाने के लिये अर्द्ध विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे- मनोज सुंदर था; नवयुवक था; सुगठित शरीर का स्वामी था। सूर्योदय हुआ; सूर्य की लालिमा बिखरी; पक्षियों का कोलाहल शुरू हो गया; घर के सारे बच्चे जाग उठे।

अध्याय
8

हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक

हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत हिन्दी भाषा के प्रयोग के समय व्याकरण संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ, जिनके सही रूप एवं ज्ञान के बिना हिन्दी भाषा का व्याकरण के संदर्भ में सही प्रयोग करने में समस्या आती है, उन समस्याओं के समाधान के लिये हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक से संबंधित अध्याय में संज्ञा एवं उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम क्रिया, क्रिया-विशेषण तथा विशेषण आदि के संबंध में आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण जानकारियों को प्रस्तुत किया गया है।

8.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा आदि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

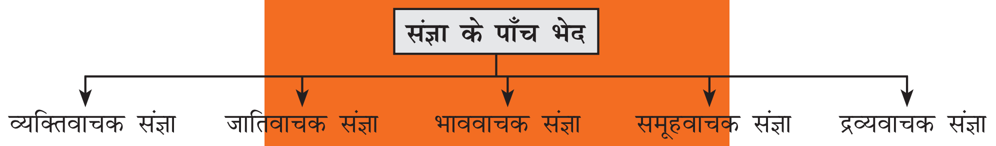

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम**–राम, मुकेश, मोहन, सीता आदि।

(ii) **दिशाओं के नाम**–पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि।

(iii) **देशों के नाम**–भारत, अमेरिका, कनाडा आदि।

(iv) **शहरों के नाम**–दिल्ली, पटना, इलाहाबाद आदि।

(v) **समुद्रों के नाम**–काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि।

(vi) **नदियों के नाम**–गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि।

2. जातिवाचक संज्ञा

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश आदि।

जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

मनुष्य–पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि।

पशु-पक्षी–गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि।

अध्याय 9

संधि एवं संधि-विच्छेद

संधि शब्द का अर्थ 'मेल' से है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह संधि कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं।

9.1 संधि

संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाता है।

उदाहरण: विद्या + आलय = विद्यालय, महा + आत्मा = महात्मा

स्वर संधि के पाँच भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

स्वर संधि के पाँच भेद

- दीर्घ संधि
- गुण संधि
- वृद्धि संधि
- यण संधि
- अयादि संधि

दीर्घ संधि

इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ, उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ एवं इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे-

अ + अ = आ	अ + आ = आ
● गीत + अंजलि = गीतांजलि	● आम + आशय = आमाशय
● स्व + अर्थी = स्वार्थी	● आर्य + आवर्त = आर्यावर्त
● मत + अनुसार = मतानुसार	● गर्भ + आशय = गर्भाशय
● परम + अर्थ = परमार्थ	● भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
● प्र + आंगम = प्रांगण	● हास्य + आस्पद = हास्यापद
आ + अ = आ	**आ + आ = आ**
● निशा + अंत = निशांत	● महा + आशय = महाशय
● सत्ता + अंतरण = सत्तांतरण	● वार्ता + आलाप = वार्तालाप
● परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी	● प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद
● रचना + अवली = रचनावली	● महा + आत्मा = महात्मा
● दिशा + अंतर = दिशांतर	● प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार
● सुधा + अंशु = सुधांशु	

अध्याय
10

उपसर्ग

हिन्दी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ की विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्रायः एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूल शब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। इस प्रकार, उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिन्दी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोत का एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

'अ' और 'नि' ऐसे दो हिन्दी उपसर्ग है जो अत्यधिक रूप से प्रचलित हैं। इन दोनों उपसर्गों से अत्यधिक शब्द निर्माण होते हैं। इन्हीं उपसर्गों से निर्मित कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं–

- 'अ' उपसर्ग से निर्मित शब्द– अमान्य, अमूल्य, अशुभ, अकर्म, अज्ञानी, अन्याय, अपरिमित, अकार्य आदि।
- 'नि' उपसर्ग से निर्मित शब्द– निकृष्ट, निदर्शन, निवारण, निरोध, निवास, निमग्न, निदान आदि।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है, यद्यपि अर्थ वही रहता है, जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग के प्रयोग से शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, केवल गति या अधिकता का बोध होता है।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द मूल शब्द का विलोम बन जाता है, जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिन्दी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है, अतः इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिन्दी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाएँ क्रमशः अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिन्दी पर जबर्दस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिन्दी ने या तो यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन कर अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार, वर्तमान में हिन्दी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के प्रचलित उपसर्ग सर्वमान्य हैं–

1. संस्कृत के उपसर्ग
2. हिन्दी उपसर्ग
3. उर्दू के उपसर्ग

1. संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी ने अपनी जननी संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित शब्दों के सरल बोध हेतु सारणी के रूप में निम्नवत् प्रस्तुत हैं–

अध्याय 11

प्रत्यय

वह अक्षर या अक्षर समूह जो शब्दों के बाद लगाया जाता है, प्रत्यय कहलाता है। यह दो शब्दों 'प्रति' और 'अय्' के मेल से बना है। इसमें प्रति का आशय 'साथ में', पर बाद में और 'अय' का आशय है 'चलने वाला'। अर्थात् प्रत्यय से आशय 'शब्दों के साथ परंतु बाद में लगने वाले अक्षय या अक्षर समूह' से है।

- 'भला' शब्द में 'आई' (प्रत्यय) लगाने से एक नया शब्द 'भलाई' बनता है, जिसका अर्थ अपने मूल शब्द 'भला' से बिल्कुल भिन्न है।
- उपसर्ग की भाँति प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता।
- संस्कृत में प्रत्यय को परिभाषित करते हुए कहा गया है, "प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय।" अर्थात् प्रत्यय किसी शब्द/धातु में विधान करने की प्रक्रिया है।
- प्रत्यय वस्तुतः एक शब्दांश के रूप में शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है।
- शब्दांश में प्रत्यय की प्रयुक्तता के कारण ही इसे विकरण और अंतयोग भी कहा जाता है।

प्रत्यय के भेद

सर्वमान्य रूप में प्रत्यय के दो भेद सर्वस्वीकृत हैं–

(1) **कृदंत**, (2) **तद्धित।**

(1) **कृदंत प्रत्ययः** कृदंत प्रत्यय प्रत्यय के उस रूप को कहते हैं, जिसमें क्रिया मुख्य रूप से धातु या मूल क्रिया में लगकर नया शब्द-निर्माण करती है। इस नवनिर्मित शब्द को ही 'कृदंत' कहते हैं, जैसे– 'मिल' (ना) शब्द में 'आप' प्रत्यय जुड़कर 'मिलाप' शब्द का निर्माण होता है, जो कृदंत प्रत्यय है।

(2) **तद्धित प्रत्ययः** संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के साथ जो प्रत्यय लगकर नवीन शब्द-निर्माण करता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय में 'क्रिया' शब्द की कोई भूमिका नहीं होती, जैसा कि कृदंत प्रत्यय में होता है। ऐसे नवनिर्मित शब्द को 'तद्धितांत' कहा जाता है। उदाहरण के लिये, 'चाट' शब्द में 'नी' प्रत्यय जुड़ने से 'चटनी' शब्द तद्धितांत हुआ।

अपनी भाषागत विशेषता के कारण हिन्दी ने अन्यान्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने शब्द-भंडार में समाहित कर लिया है।

कृत प्रत्यय– हिन्दी में शब्द की धातु की अवधारणा का अध्ययन नहीं किया गया है किंतु प्रत्यय समझने के लिये शब्द की धातु कल्पित करना आवश्यक है। संस्कृत की तरह हिन्दी में भी कृत प्रत्यय धातु से संलग्न होकर संज्ञा, विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। हिन्दी में पाँच प्रकार के कृत प्रत्यय हैं– (i) कर्तृवाचक, (ii) कर्मवाचक, (iii) कारकवाचक, (iv) भाववाचक, (v) क्रियावाचक।

(i) **कर्तृवाचक कृतप्रत्यय**–वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्त्तावाचक (क्रिया को करने वाला) शब्द का निर्माण करते हैं, कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे–

प्रत्यय	धातु	कृदंत	प्रत्यय	धातु	कृदंत
अक	जात	जातक	अक	पाठ	पाठक
	तार	तारक		गै	गायक
	पौ (पाव)	पावक		नाश	नाशक
	लिख	लेखक		धाव (धौ)	धावक
	घात	घातक		धृ (धार)	धारक
	वाच	वाचक		कृ (कार)	कारक

अध्याय
12

पर्यायवाची शब्द

जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो अर्थात् जो अर्थ की दृष्टि से समान हों, 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिन्दी में पर्यायवाची शब्द बहुलता में हैं। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, पियंबु, अतिसौरभ	प्रशंसा	स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृषानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि, वायुसखा	तरंग	उर्मि, **लहर**, वीचि, हिलोर,
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, **अश्म**, संग, पाषाण	**जंगल**	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा	**किनारा**	सिरा, छोर, तीर, तट, कूल, पुलिन
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि	**भिक्षुक**	मधुकर, याचक, भिखारी, भिखमंगा
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिनी, **सिंधुगामिनी,** तटिनी, सरिता, निम्ना, **स्रोतस्विनी**	**हाथी**	गज, कुंजर, करि, दंती, हस्ति, वितुंड, **द्विरद**, **गयंद**, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
नाग	भुजंग, सर्प, विषधर, अहि	कामदेव	**मदन**, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मनोभव, मनोज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कंदर्प, **मार**, स्मर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, कुसुमशर, **अतनु**
विष्णु	कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, अच्युत, दामोदर, उपेंद्र	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जातक, पुष्कल, रुक्म, जातरूप	नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक
इंद्र	शचीपति, मधवा, शक्र, सहस्राक्ष, सुरेन्द्र, कौशिक, विडौला, अमरपति, वासव, जिष्णु, पुरुहूत	हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु
सिंह	पंचानन, नाहर, मृगारि, केहरि, शार्दूल, मृगेंद्र	चांदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत-कर्णिका, तरंगिणी
घर	निकेतन, निलय, आयतन, **अयन**, गेह, गृह	सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा
मछली	झष, सफरी, मीन, मत्स्य	लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा
कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, **दुकूल**	विष्णु	**जनार्दन**, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलशायी
तालाब	सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, कासार, ह्रद	बगीचा	आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी
प्रभात	प्रातः, सवेरा, उषा, अरूणोदय	देवता	विबुध, देव, सुर, अमर, अमर्त्य, त्रिदश

अध्याय 13

विलोम शब्द

सामान्य अर्थों में किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को **विलोम** या **विपरीतार्थक शब्द** कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय होते हैं, जैसे– संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है।

सामान्यतया अ, अप, अन्, निस, निर, वि, प्रति, दुर, दुस्, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे– लाभ का विलोम हानि। अगर 'लाभ' का विलोम 'अलाभ' लिया तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी जबकि 'अलाभ' शब्द 'लाभ' का विपरीतार्थक शब्द है। अत: उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा- स्थिति के साथ विलोम का चयन किया जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रतिकूल	अनुकूल	उपमेय	अनुपमेय	आमिष	निरामिष	श्रोता	वक्ता
अध्यवसाय	अनध्यवसाय	सुलभ	दुर्लभ	ईप्सित	अनीप्सित	न्यून	अधिक
बर्बर	सभ्य	दीर्घायु	अल्पायु	स्वजाति	विजाति	धृष्ट	विनम्र
ध्वंस	निर्माण	तृष्णा	वितृष्णा	चुस्त	ढीला	स्थिर	अस्थिर
अनिवार्य	ऐच्छिक	निषिद्ध	विहित	सुमति	कुमति	विभव	पराभव
यथार्थ	कल्पित, काल्पनिक	भूगोल	खगोल	अभिशाप	वरदान	जारज	औरस
चिरंतन	नश्वर	सहयोगी	प्रतियोगी	उपादेय	अनुपादेय	मसृण	रुक्ष
नैसर्गिक	कृत्रिम	जोड़	घटाव	परमार्थ	स्वार्थ	स्वर्ग	नरक
नर	नारी	पोषक	शोषक	विज्ञ	अज्ञ	आध्यात्मिक	सांसारिक
व्यष्टि	समष्टि	विधि	निषेध	संधि	विग्रह	संन्यास	गृहस्थ
नूतन	पुरातन	कर्मण्य	अकर्मण्य	महात्मा	दुरात्मा	अति	अल्प
आविर्भाव	तिरोभाव	विनीत	उद्धत	सूक्ष्म	स्थूल	इति	अथ
तरुण	वृद्ध	मंडन	खंडन	आगामी	विगत	ग्रहण	अर्पण
ह्रस्व	दीर्घ	स्थावर	जंगम	प्रधान	गौण	सरल	कठिन
शुष्क	आर्द्र, सिक्त	अनंत	अंत	विशेष	सामान्य	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
संपन्न	विपन्न	थोक	फुटकर	समस्या	समाधान	यश	अपयश
उपेक्षा	अपेक्षा	पुरस्कार	दंड	अंतर्द्वंद्व	बहिर्द्वंद्व	संश्लेषण	विश्लेषण
गणतंत्र	राजतंत्र	कीर्ति	अपकीर्ति	अलभ्य	लभ्य	भाव	अभाव
परतंत्र	स्वतंत्र	असीम	ससीम	अपव्यय	मितव्यय	दु:खी	सुखी
सृष्टि	प्रलय	अथ	इति	अल्पज्ञ	बहुज्ञ	विवेकी	अविवेकी
साहचर्य	अलगाव	भिज्ञ/अभिज्ञ	अनभिज्ञ	उत्कृष्ट	निकृष्ट	दानव	मानव
विराट्	क्षुद्र/सूक्ष्म	अज्ञ	विज्ञ	कृश	पुष्ट	अधोगामी	ऊर्ध्वगामी

अध्याय
14

समश्रुत भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म का अर्थ-भेद)

शब्द-युग्म से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है, जिनकी संख्या हिन्दी में अत्यधिक है, जो वर्ण और मात्रा के सूक्ष्म अंतर के बावजूद मोटे तौर पर देखने में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका यह सूक्ष्म अंतर उनके अर्थों में अंतर ला देता है। ऐसे शब्दों के युग्म को शब्द-युग्म कहा जाता है।

यदि भूलवश ऐसे शब्द-युग्म में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे- शब्द-युग्म 'अगम' व 'आगम' को लें जिनके अर्थ क्रमश: 'दुर्गम व प्राप्ति, शास्त्र' है। इन शब्दों के अर्थो के अंतर को जाने बिना एक की जगह पर दूसरे शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अत: यह आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है कि छात्र समुचित रूप से इन शब्द-युग्मों का अध्ययन करें, ताकि वे सही शब्द-युग्म का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें। ऐसे शब्द-युग्म को समध्वनि भिन्नार्थक युग्म शब्द, समानभासी भिन्नार्थक शब्द, समोच्चरित शब्द आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए शब्द-युग्मों का अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अजर	देवता, जो बूढा न हो	अमित	बहुत	आदि	प्रथम, प्रारंभ, वगैरह
अजिर	आँगन	अमीत	शत्रु	आदी	अभ्यस्त
अनिल	वायु, हवा	अंस	कंधा	आरति	विराम
अनल	अग्नि	अंश	हिस्सा, भाग	आरती	पूजा के लिए दीपक, नीराजन
अश्व	घोड़ा	अपेक्षा	आवश्यक	आवरण	पर्दा
अश्म	पत्थर	उपेक्षा	निरादर, अवहेलन	आमरण	मृत्यु तक
अगम	संभव नहीं	अनिष्ट	बुरा	असन	भोजन
आगम	पुराण, आगमन	अनिष्ठ	निष्ठा-रहित	आसन	बैठने की जगह
अंब	माता	अवलंब	सहारा	आदेश	आज्ञा
अंबु	जल	अविलंब	बिना देर किए, तुरंत	उपदेश	शिक्षा, सीख
अक्षि	आँख	अवधि	समय सीमा	आहार	भोजन
अक्षी	आँखवाली	अवधी	हिन्दी की एक बोली	उपहार	भेंट
अभिज्ञ	जानकार	अभिराम	सुंदर	इति	समाप्ति
अनभिज्ञ	अनजान	अविराम	निरंतर, बिना रुके	ईति	दैवी प्रकोप, बाधा
अनुभव	तजुर्बा	अलि, आलि	भौंरा	उद्यत	तैयार
अभिनव	नया	अली, आली	सखी	उद्धत	अक्खड़
उपयोग	व्यवहार में लेना	कंगाल	निर्धन	तरणि	सूर्य
उपभोग	भोगना	कंकाल	अस्थि-पंजर	तरणी	नाव
उत्पाद	उत्पन्न वस्तु	कृतज्ञ	उपकार मानने वाला	तनु	पतला
उत्पात	उपद्रव	कृतघ्न	उपकार को न मानने वाला	तनू	पुत्र

अध्याय 15

वाक्यांश के लिये सार्थक शब्द

किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है—कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिन्दी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिन्दी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं और इसी श्रेणी में 'वाक्यांश के लिये सार्थक शब्द' भी समान रूप से सम्मिलित है। इसे 'अनेक शब्दों के लिए एक शब्द' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षिप्तीकरण में इसकी उपयोगिता स्वत:सिद्ध है।

भाषा अपनी विकास-यात्रा में इस प्रकार की आवश्यकता की महत्ता को महसूस करते हुए तदनुरूप शब्दों का निर्माण एवं अधिग्रहण करती है। इनके माध्यम से कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ यह कहना विशेष तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्तिसम्मत होगा। 'वाक्यांश के लिये सार्थक शब्द' की सूची काफी लंबी है फिर भी नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिये जा रहे हैं।

अभ्यास हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण वाक्यांश एवं उनके लिये सार्थक शब्द निम्नलिखित है–

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द

वाक्यांश	सार्थक शब्द
● जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
● वह ज़मीन जिसमें अच्छी पैदावर हो	उर्वरा
● सप्ताह-सप्ताह में होने वाला	साप्ताहिक
● उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा	उत्तर-पूर्व (ईशान कोण/दिशा)
● वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो	अध्यादेश
● उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा	उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण/दिशा)
● पर्वत के ऊपर की समतल भूमि	अधित्यका
● वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो	ऊसर
● वह व्यक्ति जो चोरी-छिपे माल लाता-ले जाता हो	तस्कर
● वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिये ले जाता है	पाथेय

अभ्यास हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण वाक्यांश एवं उनके लिये सार्थक शब्द निम्नलिखित हैं-

'अ' वर्ण से संबंधित

वाक्यांश	सार्थक शब्द
पुरुष-गोद में सोने वाली स्त्री	अंकशायिनी
गोद में स्थित/जो गोद में हो	अंकस्थ
बही-खाता के हिसाब की जाँच करने वाला	अंकेक्षक
अंडे से उत्पन्न (जन्म) होने वाला	अंडज
मूलकथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघुकथा	अंत:कथा
महल में रानियों का निवास-स्थान	अंत:पुर
सबके अंत:करण (मन) की बात जानने वाला	अंतर्यामी
पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र/स्थान	अंतरिक्ष

अध्याय 16

शब्द-शुद्धि

कभी आंचलिक प्रभाव के कारण तो कभी लिंग-वचन की अल्पज्ञता के कारण हम शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियों में वर्ण संबंधी अशुद्धियों को भी नहीं नकारा जा सकता। अक्षर लेख, संधि, समास, विसर्ग आदि संबंधी अशुद्धियाँ न होने पाएँ भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नीचे इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध-शुद्ध शब्द

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रहीत, अनुग्रहित	अनुगृहीत	भुजंगनी	भुजंगिनी	स्वस्थ्य	स्वस्थ
आव्हान	आह्वान	बाल्मीक, बाल्मीकि	वाल्मीकि	सन्यासी	सन्न्यासी
उज्वल, उज्जवल	उज्ज्वल	प्रातकाल	प्रातःकाल	सदृश्य	सदृश
गत्यावरोध	गत्यवरोध	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	पुरुस्कार	पुरस्कार
चिन्ह	चिह्न	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित	पड़ोसन	पड़ोसिन
त्यौहार, त्योंहार	त्योहार	प्रफुल्लित	प्रफुल्ल	निरिक्षण	निरीक्षण
दुरावस्था	दुरवस्था	पुज्य, पूज्यनीय	पूज्य,पूजनीय	धनाड्य	धनाढ्य
निरोग	नीरोग	पक्षीगण	पक्षिगण	दिवारात्रि	दिवारात्र
प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	व्यवहारिक	व्यावहारिक	दरिद्री	दरिद्र
मिष्ठान, मिस्ठान	मिष्टान्न	वापिस	वापस	तदंतर	तदनंतर
मोलिक	मौलिक	वीभीषण, बिभीषण	विभीषण	तदोपरांत	तदुपरांत
सदोपदेश	सदुपदेश	श्रृंगार, श्रंगार	शृंगार	चांद	चाँद
विशिष्ठ, विशीष्ट	विशिष्ट	संग्रहित, संग्रहीत	संगृहीत	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
वधु	वधू	सप्ताहिक	साप्ताहिक	कवियत्री, कवित्री	कवयित्री
लघुत्तर	लघूत्तर	समाजिक	सामाजिक	ओद्योगिक	औद्योगिक
रविंद्र	रवींद्र	साहित्यक	साहित्यिक	आर्शिवाद, आशिर्वाद	आशीर्वाद
रचयता, रचियता	रचयिता	सृष्टा	स्रष्टा	आधीन	अधीन
मध्यांत, मध्यान्ह	मध्याह्न				

'अ' एवं 'आ' वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आधीन	अधीन	अन्त्यक्षरी	अन्त्याक्षरी	व्यवसायिक	व्यावसायिक
हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप	अवश्यकता	आवश्यकता	तत्कालिक	तात्कालिक
हाथिनी	हथिनी	अशीर्वाद	आशीर्वाद	नदान	नादान
आलौकिक	अलौकिक	अजीविका	आजीविका	नराज	नाराज
अनाधिकार	अनधिकार	समूहिक	सामूहिक	परलौकिक	पारलौकिक
दावात	दावत	असमान	आसमान	बदाम	बादाम
अत्याधिक	अत्यधिक	महौल	माहौल	ब्रह्मण	ब्राह्मण
आमावस्या	अमावस्या	अयाम	आयाम	भगीरथी	भागीरथी
अगामी	आगामी	वतावरण	वातावरण	सप्ताहिक	साप्ताहिक
अजमाइश	आजमाइश	संसारिक	सांसारिक		

अध्याय 17

वाक्य-शुद्धि

शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य-रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषायी शुद्धता की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन हो अथवा वाचन (वार्ता)। हिन्दी में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य-रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत है।

वाक्य-रचना के नियम

भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द-समूह का योग होता है और ये शब्द-समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं, तदुपरांत ही विचार/भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य-रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है–

प्रमुख विधान

- शब्द-क्रम
- अन्वय या मेल
- पद/शब्द-प्रयोग

शब्द-क्रम

'शब्द-क्रम' का अर्थ है– शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य-रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है, जब उसमें प्रयुक्त शब्द-समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन (वार्ता) हेतु शब्द-क्रम संबंधी विधान (नियमों) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

- **वाक्य-रचना में सर्वप्रथम (प्रारंभ में) कर्ता, तत्पश्चात् कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– मैं किताब पढ़ता हूँ। राम ने भोजन किया। श्याम स्कूल गया।

  इन वाक्यों में 'मैं', 'राम' और 'श्याम' कर्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि 'किताब', 'भोजन' और 'स्कूल' कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में और 'पढ़ता हूँ', 'किया' और 'गया' क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं।

- कर्ता के विस्तार (उद्देश्य) को कर्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार (विधेय) को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें।

  उदाहरण– **नम्र** व्यक्ति **नम्रतापूर्वक** बात करते हैं। **अच्छे** विद्यार्थी **धीरे-धीरे** लिखते हैं।

  इन वाक्यों में 'नम्र' एवं 'अच्छे' जो कर्ता-विस्तार हैं, क्रमशः कर्ताद्वय 'व्यक्ति' एवं 'विद्यार्थी' के पूर्व आए हैं, जबकि 'नम्रतापूर्वक' एवं 'धीरे-धीरे' क्रिया-विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रियाद्वय 'बात' और 'लिखते' से पहले आए हैं।

- **वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक को क्रमागत (क्रमिक) रूप से कर्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– राम ने गाड़ी **में** (अधिकरण) रखी थैली **से** (अपादान) बच्चों **के लिए** (संप्रदान) अपने हाथ **से** (करण) टॉफियाँ निकालीं।

- **संबोधन कारक के विभक्ति-चिह्न वाक्य में सदैव प्रारंभ में प्रयुक्त किये जाने चाहिये।**

  उदाहरण– **हे ईश्वर!** इस भीषण कष्ट से मुझे मुक्ति दे दो!

  अहा! क्या मनोरम/मनभावन दृश्य है!

अध्याय 18

मुहावरे

हिन्दी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है– अभ्यास करना। सामान्यत: 'मुहावरा' शब्द का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार कहावत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है– कही हुई बात। इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ– लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है। 'उक्ति' से यहाँ आशय उसी संदर्भ में है, जैसी कहावत में है।

मुहावरा

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्त्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

विद्वानों के अनुसार–

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है।" **(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)**

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

मुहावरों के प्रयोग-संबंधी अशुद्धियाँ एवं निवारण

मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्य जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का अभिन्न अंग होता है। यही सामान्य जन मुहावरों के जन्म का स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्य जन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषायी गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगा है। इस प्रकार, मुहावरों के व्यापक प्रचलन से इनके प्रयोग में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे के प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है, वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन हो जाते हैं। अत: यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं–

मुहावरे के शब्दों का स्थान-परिवर्तन

मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान-परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव एवं औचित्य से अछूता रह जाता है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें–

अध्याय
19

कहावतें (लोकोक्तियाँ)

कहावतें (लोकोक्तियाँ)

कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं, जिसमें जीवन के अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में, मगर सुंदर, प्रभावशाली तथा चामत्कारिक ढंग से कही जाती हैं। इसे लोकोक्ति भी कहा जाता है।

उदाहरण

'अक्ल बड़ी कि भैंस', 'अक्ल का अंधा', 'अंधे की लकड़ी', 'आगे कुआँ पीछे खाई' आदि। वस्तुतः कथन की प्रामाणिक, प्रभावशाली, जीवंत एवं चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही कहावत या लोकोक्ति का उद्देश्य होता है।

मुहावरे के समान ही कहावत या लोकोक्ति का हिन्दी भाषा में बोलचाल और लेखन दोनों में अधिकाधिक प्रयोग होता है। यह भी भाषा में वही विशिष्टता लाती है, जो मुहावरा लाता है। मगर मुहावरे से भिन्न इसके प्रयोग का उद्देश्य कथन के औचित्य को सिद्ध करना होता है। इसके बावजूद दोनों में अर्थ, विशेषता और प्रयोग आदि में बहुत अंतर है।

कहावतों (लोकोक्तियों) का अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग

- **अंडे सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई**

  अर्थ : मेहनत कोई करे और लाभ किसी अन्य को मिले।

  प्रयोग : रामाधीन दिन भर खेतीबाड़ी करता, मगर रुपया-पैसा और घर की ज़िम्मेदारी उसने पढ़े-लिखे अपने छोटे भाई के ज़िम्मे कर दिया था। छोटा भाई कभी खेत में पाँव तक न रखकर सिर्फ मौज-मस्ती ही करता था। इस पर उसकी माँ कह उठी अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई।

- **अंत भला तो सब भला**

  अर्थ : अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है।

  प्रयोग : जीवन भर समाज सुधार का कार्य करने के बावजूद जब रामपाल को कुछ भी हासिल न हो पाया तो वह निराश हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसको रमन मैग्ससे पुरस्कार के लिये बुलाया गया। यह खबर पता चलते ही लोग बोल उठे-अंत भला तो सब भला।

- **अंधे के आगे रोवै, आपन दीदा खोवै**

  अर्थ : व्यर्थ प्रयास से कोई लाभ नहीं/निर्दयी व्यक्ति से सहायता मांगना।

  प्रयोग : रविकांत इतना निर्दयी महाजन है कि उससे ब्याज माफ करने की भीख माँगना, अंधे के आगे रोना व अपना दीदा खोने के समान है।

- **अपना हाथ जगन्नाथ**

  अर्थ : स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है।

  प्रयोग : छोटा-मोटा कार्य सेवकों से करवाने के बजाय स्वयं क्यों नहीं कर लेते। कार्य सही भी होगा और समय पर भी। कहावत भी है कि अपना हाथ जगन्नाथ।

- **अंधा पीसै कुत्ता खाय**

  अर्थ : किसी की अज्ञानता अथवा असावधानी से लाभ उठाना।

  प्रयोग : व्यापार से हो रहा धन का लाभ पैतृक संपत्ति के विवाद में वकीलों पर ही खर्च हो जाने से उसकी स्थिति अंधा पीसै कुत्ता खाय जैसी हो गई है।

अध्याय 20

परिभाषिक शब्दावली (प्रशासन से संबंधित)

परिभाषिक शब्दावली (प्रशासन से संबंधित) के अंतर्गत उन शब्दों को सम्मिलित किया गया है जो प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयोगी हैं तथा जिन शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में बार-बार होता हैं अत: उन शब्दों का अंग्रेज़ी जानना अति आवश्यक है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को करते हुए आप किसी प्रकार की असहजता का अनुभव न करें।

20.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी

इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों का संग्रह करते हुए उनकी अंग्रेज़ी को भी उनके सम्मुख उपलब्ध कराया गया है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों की अंग्रेज़ी क्या है। इसकी जानकारी आपको हो सके।

हिन्दी	अंग्रेज़ी
अंतरण	Transfer
अंचल	Zone
अंत:क्रिया	Interaction
अंतराष्ट्रीय विधि	International Law
अंतर्दृष्टि	Insight
अंतर्मुखी	Introvert
अग्रिम अदायगी	Advance Payment
अधिपत्र	Warrant
अधिमान्य	Preferable
अध्यारोपण	Superimposition
अनभिज्ञता	Ignorance
अनियमितता	Irregularity
अभिकथित	Alleged
अभियोजन	Prosecution
अर्थदंड	Penalty
अल्पकालिक बोली	Short Term bid
अवहेलना	Disregard
असमतल भूमि	Uneven land
असमर्थनीय	Untenable
असहिष्णुता	Intolerance
असार्थकता	Insignificance
आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय	Zonal Office
आचरण	Conduct
आवंटन पत्र	1. Allotment letter 2. Letter of Allotment
अग्रदाय	Imprest
उपबंध	Provisions
आवंटन	Allocation
अभिविन्यास	Orientation
अधिदेश	Mandate
आबकारी आयुक्त	Excise Commissioner
आर्थिक अन्वेषक	Economic Investigator
आर्थिक शोषण	Economic Exploitation
आवक फाइल	Incoming File
आलेख	Script
आवधिक रिपोर्ट	Periodical Report
आहर्ता	Drawer
इतिवृत्त पत्रक	History Sheet
उड़न दस्ता	Flying Squad
उत्खनन सहायक	Excavation Assistant
उत्थान	Uplift
उद्योग निदेशालय	Directorate of Industries
उपस्थिति नामावली	Muster Roll
ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति	Upward Trend
एकपक्षीय कार्रवाई	Unilateral action
ऐतिहासिक स्मारक	Historical Monument

भाग–ब

अध्याय
1

गद्यावतरण (अवतरण) का शीर्षक एवं संक्षिप्तीकरण

इस अध्याय के अंतर्गत राजस्थान प्रशासनिक (राज्य सिविल) सेवा परीक्षा के वर्ष 2018 में निर्धारित किये गए पाठ्यक्रम (सिलेबस) को ध्यान रखते हुए तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई राज्य प्रशासनिक (सिविल) सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्नपत्र– 'सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेज़ी' के सामान्य हिन्दी वाले भाग में गद्यावतरण से संबंधित शीर्षक एवं संक्षिप्तीकरण संबंधी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन बातों को स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास किया गया है जो गद्यावतरण का 'शीर्षक' एवं 'संक्षिप्तीकरण' के लिये अति आवश्यक होती है।

1.1 शीर्षक

यह मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। यह मूल पाठ का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। मूल पाठ के शीर्षक को परखने या अनुमान लगाने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका यह होता है कि यदि हम दिये गये मूल पाठ को पढ़कर लगभग उसी प्रकार का अवतरण लिखने में सफल होते हैं तो समझो वही उपयुक्त शीर्षक है। इसी प्रकार यदि पाठ में शीर्षक से संबंधित एक से अधिक विकल्पों का अभाव हो, तब आकलन कीजिये कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे बेहतर होगा तब एक समझो वही उचित शीर्षक है।

1.2 संक्षिप्तीकरण

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद के अनुसार, ''किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षिप्तीकरण' कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।'' संक्षिप्तीकरण में मूल संदर्भ के विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है कि उसमें मूल अवतरण के सभी विचार आ जाएँ। संक्षिप्तीकरण को पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षिप्तीकरण में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। इसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि संक्षिप्तीकरण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है।

संक्षिप्तीकरण की विशेषताएँ

- **पूर्णता–** संक्षिप्तीकरण अपने आपमें पूर्ण होना चाहिये। इसके मूल संदर्भ में सभी विचार आने चाहिये तथा मूल के अनुरूप ही विचारों की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिये। संक्षिप्तीकरण पढ़ने पर मूल अवतरण के सभी विचार एवं भाव स्पष्ट हो जाने चाहिये।
- **संक्षिप्तता–** संक्षिप्तीकरण के मूल में उसकी संक्षिप्तता का गुण है। अनावश्यक शब्दों को छाँटकर तथा मुख्य विचारों को सामासिक शैली में सारगर्भित रूप में व्यक्त करना ही संक्षिप्तीकरण की विशेषता है। सामान्यत: संक्षिप्तीकरण मूल संदर्भ का एक-तिहाई हिस्सा/भाग होता है।
- **स्पष्टता–** संक्षिप्तीकरण में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिये। संक्षिप्तीकरण को पढ़ने से मूल अवतरण का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये।
- **भाषा की सरलता–** संक्षिप्तीकरण की भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिये। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिये, जो सरल तथा स्पष्ट हो। अलंकृत भाषा एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

अध्याय
2

पल्लवन

पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है- किसी विषय या विचार का विस्तार। इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। लेखन की इस क्रिया को हिन्दी में 'पल्लवन' कहते हैं तथा वृद्धीकरण, विशदीकरण, संवर्द्धन, भाव-विस्तार आदि पल्लवन के अन्यान्य नाम हैं।

जब किसी विचार को कम-से-कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्यायित किया जाए, ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके।

पल्लवन के अंतर्गत इसी उद्‌देश्य की पूर्ति की जाती है। अतः पल्लवन को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, "किसी सुगठित एवं गुंफित विचार या भाव के विचार को पल्लवन कहते हैं।"

पल्लवन की आवश्यकता

- क्योंकि कम-से-कम शब्दों में लिखे गए विचारों तथा भावों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकें।
- क्योंकि एक गंभीर लेखक 'गागर में सागर' भरते हुए न्यूनतम शब्दों में अधिकतम बातों को लिखने का प्रयास करता है, जिसे आसानी से बिना स्पष्टता के नहीं समझा जा सकता।
- क्योंकि हिन्दी में ऐसी हज़ारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करने हेतु उनका अर्थ-विस्तार करना आवश्यक होता है।
- क्योंकि अर्थ-विस्तार करते समय मूल वाक्य में आए विचारसूत्रों का उपयुक्त (सही) अर्थ पकड़ने का प्रयास किया जा सके।

पल्लवन की प्रमुख विशेषताएँ

- पल्लवन भाव या विचार का विस्तार है लेकिन यह व्याख्या तथा भावार्थ से भिन्न है।
- पल्लवन, व्याख्या तथा भावार्थ में तात्त्विक अंतर होता है।
- पल्लवन में निहित भाव का विस्तार होता है।
- पल्लवन में प्रसंग-निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका-टिप्पणी करने की छूट नहीं है, जिस प्रकार की छूट 'व्याख्या' करने में होती है।
- पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट करने के लिये भाव-विस्तार संबंधी कोई सीमा नहीं होती है, जिस प्रकार की सीमा भावार्थ में मूल भाव को स्पष्ट करने के संबंध में होती है।
- पल्लवन के द्वारा 'मूल' तथा 'गौण' दोनों प्रकार के निहित भावों को प्रकट किया जाता है।

पल्लवन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण नियम

- पल्लवन के लिये मूल अवतरण के संपूर्ण भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें।
- मूलभाव या विचार के साथ-साथ गौण या सहायक विचारों को भी समझने की चेष्टा करें।
- अर्थ-विस्तार हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिये जा सकते हैं।
- भाषा में स्पष्टता, मौलिकता तथा सरलता होनी चाहिये। इसमें प्रयोग किये गए छोटे-छोटे वाक्य अधिक उपयुक्त होते हैं। अलंकृत भाषा लिखने से बचना चाहिये।
- पल्लवन में मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार होना चाहिये। टीका-टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिये।

अध्याय
3

पत्र-लेखन

पत्र-लेखन के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि राजस्थान प्रशासनिक (राज्य सिविल) सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस-किस प्रकार के 'पत्र-लेखन' को निर्धारित किया गया है तथा विगत वर्षों में आयोजित राज्य प्रशासनिक (सिविल) सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की थी। इस अध्याय के अंतर्गत सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्र, अर्द्धशासकीय, कार्यालय आदेश एवं अनुस्मारक आदि प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

3.1 सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्र *(General Official Letter)*

सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्र उन विशेष प्रकार के पत्रों को कहा जाता है जिनका प्रयोग सरकार के कामकाज में किया जाता है। इस प्रकार के पत्र साधारणत: औपचारिक होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में सरकार की नीति या समस्या तथा उसके किसी निर्णय आदि का उल्लेख होता है। सरकार के कामकाज में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों का एक निश्चित प्रारूप व शैली होती है तथा उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में पद के हिसाब से प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होता (सभी के लिये समान आदर व सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है)।

सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्र की विशेषताएँ

- इस प्रकार के पत्रों में नपे-तुले शब्दों या संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है तथा ये पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं।
- इस प्रकार के पत्रों में सरकार की नीति या समस्या या उसके किसी विषय या निर्णय आदि का उल्लेख होता है।
- इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों/कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिये सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार के पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण, पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों का विशेष ध्यान रखना होता है।
- इस प्रकार के पत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संयत एवं शिष्ट होती है। ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं।
- इस प्रकार के पत्रों में एक सूचना या निर्देश एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, यदि दूसरी या तीसरी सूचना या निर्देश आदि को लिखना है तो 2 या 3 संख्या अंकित करके नए पैराग्राफ से लिखा जाता है।

सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्रों के लेखन में ध्यान रखी जाने योग्य विशेष जानकारी

सामान्य कार्यालयी (शासकीय) पत्रों में सर्वप्रथम प्रेषक का नाम और पदनाम दोनों शब्द 'प्रेषक' लिखकर उसके नीचे लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान यह दिया जाना चाहिये कि जिस अधिकारी के पास वह पत्र प्रेषित किया जाता है, उसका केवल पदनाम सेवा में लिखकर उसके नीचे दिया जाता है, भले ही संबंधित अधिकारी का नाम हमें ज्ञात हो लेकिन किसी भी शासकीय पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है।

अध्याय
4

प्रारूप-लेखन

प्रारूप-लेखन के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि राजस्थान प्रशासनिक (राज्य सिविल) सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस-किस प्रकार के 'प्रारूप-लेखन' को निर्धारित किया गया है तथा विगत वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक (सिविल) सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुये इस अध्याय के अंतर्गत अधिसूचना, निविदा, परिपत्र एवं विज्ञप्ति आदि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

4.1 अधिसूचना *(Notification)*

एक विशेष प्रकार की सूचना जिसका प्रकाशन समाचार-पत्रों में न होकर सरकार के राजपत्र (गजट) आदि के द्वारा किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं।

इस प्रकार की सूचना सामान्यत: राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से जारी की जाती है। इसमें राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों, प्रतिनियुक्तियों, नियमों, छुट्टी, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, आदेश, स्थानांतरण, पुनर्नियुक्तियाँ आदि सूचनाएँ सम्मिलित हैं।

सांविधिक/कानूनी नियमों एवं आदेशों की घोषणा तथा शक्तियों (कानून की शक्ति) को सौंपे जाने संबंधी घोषणाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिये अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है।

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएँ

- इसमें केवल पदसूचक उपाधियों का ही वर्णन किया जाता है (IAS/IPS etc.), शैक्षणिक उपाधियों का नहीं।
- सरकार की ओर से अधिसूचना जनसाधारण तथा सरकारी कार्यालयों के लिये भी जारी की जाती है।
- राजपत्र में यह संकल्प होता है कि यह अधिसूचना भारत या राज्य के राजपत्र के किस भाग व खंड में छपेगी।
- यह राजपत्र (गजट) प्रबंधक, भारत सरकार या राज्य सरकार, द्वारा प्रेस को भेजा जाता है।

अध्याय
5

अनुच्छेद का अनुवाद

अनुच्छेद का अनुवाद के अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी अनुच्छेदों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में पूछे जाने वाले अनुच्छेद संबंधी प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो, जैसे- हिन्दी में लिखे अनुच्छेदों (गद्यांशों) का अंग्रेज़ी में अनुवाद करना तथा अंग्रेज़ी में लिखे अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद करना आदि प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो।

5.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी

इसके अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण हिन्दी अनुच्छेदों को सम्मिलित किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण एवं संभावित हैं, साथ ही उन हिन्दी अनुच्छेदों का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी साथ में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को हिन्दी अनुच्छेदों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने में समस्या न हो।

- एक आदर्श शिक्षक को एक मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होना चाहिये। उसका बौद्धिक अहंभाव उसे विद्यार्थियों की राय को पूर्ण रूप से हतोत्साहित या अस्वीकृत नहीं करने देता है। बल्कि विद्यार्थियों के प्रति उसका स्नेही व्यवहार उसे कक्षा में परस्पर संवादात्मक (interactive) होने को प्रोत्साहित करता है। वह अपने छात्रों से प्रश्न करता है तथा उन्हें अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये उत्साहित करता है। प्रश्नों से महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति होती है। वह विद्यार्थियों को सोचने के लिये प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार वह एक प्रभावशाली तरीके के रूप में उनके मस्तिष्कों को जीवंत रखता है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण भी शिक्षक में नए विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उसे एक नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। सिखाने के लिये सीखना होता है। अतः एक आदर्श अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया एकतरफा संप्रेषण नहीं है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों का कल्याण निहित है।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः An ideal teacher is supposed to be a friend, philosopher and guide. His intellectual egotism does not lead him to reject or discourage student's opinions altogether. Rather, his loving attitude towards students motivates him to be interactive in the classroom. He questions his students and encourages them to express their opinions. Questions serve an important purpose. They stimulate student's minds to think, and thus serve as student's minds an effective way of animating their minds. In turn, the viewpoints of the students can stimulate new lines of thought in the teacher and offer him new insights. To teach is to learn. Hence, the ideal teaching–learning process is not a one–way traffic. It is intended for the welfare of both teacher and student.

- वर्तमान समय में हमारे समक्ष मोहनदास करमचंद गांधी का उदाहरण है, जिन्हें दुनिया महात्मा के नाम से संबोधित करती है। विश्व शांति एवं अहिंसा के संबंध में उनके विचार विश्व शांति में भारत के योगदान के साक्षी हैं। उनके संदेश अनेक देशों और लोगों के लिये महान प्रेरणास्रोत रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के नेताओं ने अपने मूल निवासियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये उनके सिद्धांतों का पालन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सविनय अवज्ञा की उनकी अद्वितीय अवधारणाएँ इतनी आकर्षक थीं कि अंग्रेज़ों ने भी इनकी सराहना की।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः In modern times, we have Mohandas Karamchand Gandhi, whom the world praises by the name Mahatma. His ideas of peace and non–violence are the testimonials of India's contribution to World Peace. His messages were sources of great inspiration for many nations and people throughout. World Leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela carried out his principles for securing freedom for their natives. And in India's struggle of Independence, his unique concept of non–violence and civil disobedience were that great and appealing that it brought appreciation even from the mouth of the British.

- नए विचार न केवल ज्ञान की सीमाओं को विस्तार देने अथवा अन्वेषण तथा आविष्कार के लिये आवश्यक होते हैं, बल्कि वे वस्तुओं और प्रक्रियाओं में सुधार लाने, व्यवसाय को बढ़ाने, कार्य-कुशलता में वृद्धि करने, लागत और कीमतों

भाग–स

अध्याय 1

निबंध लेखन : क्या, क्यों, कैसे?

निबंध लिखना विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज के स्तर की या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लेखन की चुनौती विद्यार्थियों के सामने बनी ही रहती है। कई विद्यार्थियों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि आखिर उनसे निबंध क्यों लिखवाया जाता है? निबंध को पढ़कर कोई उनके मानसिक स्तर या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? और अगर कर सकता है, तो उन्हें एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखना चाहिये?

इस लेख के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिये कि निबंध लेखन की कला कोई जन्मजात कला नहीं है, इसे कठोर अभ्यास से निश्चित तौर पर साधा जा सकता है। अगर आप भी ठान लेंगे कि आपको प्रभावशाली निबंध-लेखक बनना है तो एक-दो महीनों के निरंतर और रणनीतिक अभ्यास से आप निश्चय ही इस सपने को साकार कर लेंगे।

1.1 निबंध क्या है?

सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक विधा (Genre) के रूप में निबंध क्या है और यह अन्य विधाओं से कैसे अलग है? 'विधा' (Genre) शब्द शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका अर्थ साहित्य, संगीत या कला की विशेष शैलियों से होता है। उदाहरण के लिये, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख और समीक्षा विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। किसी विधा में उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसके चरित्र को ठीक से समझ लिया जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको निबंध विधा की ठीक समझ होगी तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में आप अपना सतत् मूल्यांकन भी कर सकेंगे और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे।

कुछ लोग मानते हैं कि निबंध एक प्राचीन भारतीय विधा है जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही है कि संस्कृत में 'निबंध' नाम की एक विधा मौजूद थी जिसमें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में लेखक पहले अपने से विरोधी सिद्धांतों को चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक-एक करके अपने तर्कों, प्रमाणों की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूँकि इस विधा में प्रमाणों का 'निबंधन' किया जाता था, इसीलिये इसका नाम 'निबंध' पड़ गया था।

सवाल यह है कि आज हम जिसे निबंध कहते हैं, वह यही विधा है या उससे अलग? इसका सामान्यत: प्रचलित उत्तर है कि आज का निबंध अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के 'निबंध' पर नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के 'Essay' पर आधारित है। अत: निबंध विधा को समझने के लिये हमें आधुनिक यूरोपीय साहित्य की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिये।

माना जाता है कि एक आधुनिक विधा के रूप में 'निबंध' की शुरुआत 1580 ई. में फ्राँस के लेखक मॉन्तेन (Montaigne) के हाथों हुई। मॉन्तेन ने अपने निबंधों के लिये 'ऐसे' (Essay) शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है- 'प्रयोग'। उस समय फ्राँस में कहानी, नाटक, कविता जैसी कई विधाएँ प्रचलित थीं पर निबंध का कलेवर उन सबसे अलग था। इसमें कहानियों की तरह न तो विभिन्न चरित्र/पात्र थे और न ही घटनाएँ थीं। नाटक में कहानी के साथ-साथ दृश्य और मंच की भी बड़ी भूमिका होती है, पर निबंध में यह सब भी नहीं था। अगर कविताओं से तुलना करें तो उनमें छंद, तुक और लय जैसे ढाँचे उपस्थित होते हैं जो रचनाकार को एक बुनियादी फ्रेमवर्क उपलब्ध करा देते हैं; पर निबंध में ये भी नहीं थे क्योंकि निबंध पद्य (Poetry) में नहीं, गद्य (Prose) में था।

स्पष्ट है कि निबंध इन सभी विधाओं से अलग था। एक अर्थ में यह सबसे कठिन विधा के रूप में उभरा क्योंकि इसमें पाठक को बांधकर रखना सबसे मुश्किल काम था। यह मुश्किल इसलिये था क्योंकि इसमें मनोरंजन पैदा करने के

अध्याय
2

निबंधों का संग्रह
(लगभग 250 शब्द सीमा)

इस अध्याय के अंतर्गत विगत वर्षों में राजस्थान प्रशासनिक (सिविल) सेवा मुख्य परीक्षा के चतुर्थ प्रश्न-पत्र से संबंधित सामान्य हिन्दी वाले भाग में निहित 'निबंध लेखन' से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए संभावित महत्त्वपूर्ण निबंधों को देने का प्रयास किया गया है जो निबंध संख्या 2.1 से 2.21 तक है। जो वर्ष 2018 में निर्धारित सिलेबस के अनुसार आगामी राजस्थान प्रशासनिक (सिविल) सेवा मुख्य परीक्षा में सामान्य हिन्दी वाले भाग के निबंध लेखन, (लगभग 250 शब्द सीमा) में सहायक हो।

2.1 नारी है तो कल है

मानव सभ्यता का अस्तित्व, उसका कल अर्थात् उसका भविष्य नारी के अस्तित्व पर निर्भर है। धारणीयता की यह शर्त केवल जनांकिकीय दृष्टि से नहीं है, स्त्रियोचित सद्गुण तथा वे मानवीय मूल्य जो स्त्रियों की नैसर्गिक विशेषताएँ हैं, के लिये भी नारी अपरिहार्य है। "नारी है तो कल है" यहाँ कल का आशय भविष्य से है। नारी मानवता की जैविक आवश्यकता तथा आधार स्तंभ है। नारी की सम्मानपूर्ण स्थिति के बगैर हमारी भविष्य की पीढ़ियों का अस्तित्व ही संकटपूर्ण हो जाएगा।

एक ऐसा समाज जिसकी आधी आबादी असमानता, वंचना एवं भेदभाव से ग्रसित रही है निश्चित तौर पर उस समाज का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। भेदभाव व दुर्भाग्य से आधा आसमान उठाने वाली महिलाओं के लिये हमारे समाज में सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित नहीं है। वर्तमान में संसाधनों, अवसरों, राजनीतिक पदों आदि पर पुरुष प्रभुत्व पाया जाता है। समय के साथ-साथ स्त्रियों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उनकी योग्यता, क्षमता तथा इससे पैदा होने वाली दावेदारी में उनका स्थान दोयम प्रकृति का है। विडंबना यह है कि पुरुषवादी समाज में स्त्रियों के सारे निर्णय भी पुरुषों द्वारा ही लिये जाते हैं। पिछले वर्ष शनि शिंगणापुर, सबरीमाला मंदिर, हाजी अली दरगाह आदि धार्मिक स्थलों के संबंध में उत्पन्न विवाद प्रकारांतर में पितृसत्तात्मक मानसिकता की ही अभिव्यक्ति थे।

चूँकि वंचना का यह परिदृश्य सदियों पुराना है तथा अपनी प्रकृति में बहुआयामी है इसलिये यहाँ समाधान, प्रक्रियात्मक समानता न होकर तात्विक समानता होगी, जिसमें स्त्री समानता न केवल वास्तव में हो बल्कि दिखाई भी दे। इस प्रयास में नारी सशक्तीकरण के लिये विभिन्न नियमों, विनियमों, संसाधनों के वितरणों के संदर्भ में सकारात्मक रणनीति अपनाई गई है। इस दिशा में सशक्त हो रही महिलाओं ने परचम लहराने शुरू कर दिये हैं, यथा- संप्रग की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रथम महिला आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और सुनीता विलियम आदि। परंतु सिर्फ चंद उदाहरण प्रस्तुत करने, कानून बना देने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना लेने से महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। नारी हमारे भविष्य की 'एकमात्र अनिवार्यता' नहीं बल्कि उसका पर्याय है क्योंकि स्त्री है तो सृष्टि है। इसलिये हमें स्त्री समानता के लिये 'कल्याण उपागम' से बढ़कर 'अधिकारिता उपागम' को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे स्त्रियाँ अपने विकास हेतु किसी पर निर्भर न रहे बल्कि अपने अंदर विद्यमान क्षमता का विकास कर सकें।

डॉ. अंबेडकर का कथन महत्त्वपूर्ण है कि "किसी समाज की उन्नति इस आधार पर मापी जानी चाहिये कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है?" अतः सतत् एवं समावेशी विकास का आदर्श तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक कि स्त्रियों को उतना महत्त्व नहीं मिलेगा जितना पुरुष वर्ग को प्राप्त है। तभी आने वाली पीढ़ी को हम एक सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्य प्रदान कर सकेंगे।

2.2 स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छता शब्द सुनते ही सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में ऐसी जगह का चित्र उभरता है जहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, जहाँ का वातावरण स्वच्छ तथा निर्मल हो। तन के साथ-साथ मन के स्तर पर भी स्वस्थ रहने के लिये, व्यक्ति

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456